agriculture as labourers and cultivators. It is also estimated that amongst women workers in urban areas, 80% are employed in the unorganised sectors like household industries, service, etc.

(c) to (c) The Government have enacted laws to ensure payment of equal wages to men and women for same & similar nature of work. The minimum Wages Act of 1948 prescribes fixation of minimum wages payable to for both men and women in different scheduled employments. The EquaJ Remuneration Act of 1976 provides for equal remuneration to men and women for the same work or work of a similar nature. The Act extends to the whole of India. Authorities have been appointed at the Central and State levels to enforce the provisions of the Act.

As regards job security, male and female workers employed in unorganised sector are euqlly exposed to risks to job security. However, the actions of the employers such as dismisal/termination whether taken under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 or otherwise can be challenged by both men and women by raising an industrial dispute under the Industrial Disputes Act, 1947.

खुली खानों में धुले और अनधुले कोयले का उत्पादन

*437. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हो रहा है;

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान, खुली खानों से धुले और अनधुले कोयले के उत्पादन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) वर्ष 1995-96 में देश में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 270.13 मि०टन (अनंतिम) किया गया, जबकि वर्ष 1996-97 के लिए 288.65 मि० टन का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की ओपनकास्ट खानों में कच्चे कोयले का उत्पादन किए जाने के लक्ष्य को और वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 की अवधि के लिए कोल इंडिया लि० में धुले कोयले के उत्पादन लक्ष्य को नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	ओपनकास्ट उत्पादन	धुले कोयले का उत्पादन
1994-95	172.73	9.77
1995-96	192.185	9.87

लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु इस संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम सम्मिलित हैं:

(i) नई खानों का खोला जाना, आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना और आगतों तथा संरचनात्मक ढांचा संबंधी सुविधाओं की समय पर उपलब्धता का सुनिश्चित किया जाना;

(ii) विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण किया जाना तथा नई वाशरियों का निर्माण किया जाना।

Production, Consumption and Export of Foodgrains

*438. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there is any scheme for the export of foodgrains;

(b) the production and domestic consumption of wheat and rice for the last five years;

(c) whether it is a fact that production of our foodgrains depends mainly on the favourable monsoon; and

(d) if so, whether it is risky to export foodgrains in near future?